

## आवश्यक सूचना

आव्यक्तमिनि निर्दिष्टा में औद्योगिक संशोधन करने हुए निम्न संशोधन क्रिया जाता है -

01. कोटेशन प्रदान करने की तिथि 01.07.2023 के अग्रिम 1 वर्ष तक विस्तारित की जाती है ।
02. सभी प्राप्त कोटेशन की दिनांक- 01.07.2023 के 3 वर्षे रकोमा जाएगा ।
03. भोजन, आवासन एवं स्टेशनरी व अन्य मद् के लिए कोटेशन प्रत्येक मद् के लिए अलग-अलग मेन्डर या प्रोपेसी का स्वीकार किया जा सकता है । एक साथ दिचे गये को करीधना ही जायेगी ।

आ/

30/06/2023